न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 422/13 वाद

1. श्री चम्पासिंह पिता स्व. श्री देवीसिंह जी राजपुत निवासी गांव पालडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)।

वादी

बनाम

1. श्री मनोहरसिंह पिता स्व. श्री देवीसिंह जी राजपुत निवासी गांव पालडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री शान्तिदास पिता स्व. सीताराम रंगास्वामी निवासी गांव पालडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्री श्रवणदास पिता स्व. श्री नाहरदास निवासी गांव पालडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्रीमती सुन्दरबाई पत्नी स्व. चुन्नीदास निवासी गांव पालडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)।
5. श्रीमती मांगीबाई पुत्री स्व. चुन्नीदास रंगास्वामी निवासी गांव पालडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)।
6. श्रीमती मंजूबाई पुत्री स्व. चुन्नीदास रंगास्वामी निवासी गांव पालडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)।
7. श्री बाबूदास पिता स्व. वेणीराम रंगास्वामी निवासी गांव पालडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)।
8. श्रीमती वदुबाई पुत्री स्व. वेणीराम रंगास्वामी निवासी गांव पालडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)।
9. श्री अर्जुनदास पुत्र स्व. वेणीराम रंगास्वामी निवासी गांव पालडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)।
10. श्रीमती भागुबाई पुत्री स्व. वेणीराम रंगास्वामी निवासी गांव पालडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर (राज0)।
12. नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जरिय सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज0)

विपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

श्री मन्नालाल डांगी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित
श्री कन्हैयालाल चोरडिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित

निर्णय

दिनांक :

वादी द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा में दिनांक 6.7.2010 को अन्तर्गत धारा 88, 188, एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। जो दिनांक 7.7.10 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों की तलबी की गयी। प्रतिवादी

संख्या 1 द्वारा व नगर विकास प्रन्यास की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 से 7 बावजुद सुचना अनुपस्थित रहने से दिनांक 8.10.12 को इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक्स पार्टी घोषित किये गये । प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर वादी साक्ष्य के लिए विचाराधीन रखा गया । इसी दौरान तहसील बडगांव व सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) गिर्वा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ जो पुनः 422/13 पर दिनांक 21.5.2013 को दर्ज कर वादी व प्रतिवादीगणो के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्रों पर जिरह पूर्ण करायी गयी। वादी व प्रतिवादीगणों की साक्ष्य पूर्ण होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने बहस में दर्शाया कि मौजा पालडी की आ.न. 771 व 772 में से हिस्सा जरिये रजिस्ट्री 14.8.1980 को क्रय की परन्तु नामान्तरकरण नहीं खुला। जिससे उक्त आराजी भुमि का बिकाव 14.10.82 को प्रतिवादी को कर दिया। वादग्रस्त भुमि पर काबिज हूॅ परन्तु रेकर्ड में भुमि प्रतिवादी के नाम पर है प्रतिवादी ने अपने जवाब में भी आधा रकबा हमारे पास होना स्वीकार किया एवं बयानें में भी यही माना है। अधिवक्ता द्वारा बहस मे आर आर टी 1008 (2007) का भी विस्तार से हवाला दिया गया।

काउन्टर बहस मे वादी अधिवक्ता ने बताया कि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मियाद अवधि नही है घोषणा का वाद कभी भी किया जा सकता है। फिर भी वाद इसलिए नही किया कि प्रतिवादी सगा भाई है इस उम्मीद में की आपसी समझौता हो जाएगा।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि सीताराम व वेणीराम दो भाई थे। सीताराम का 1/2 हिस्सा था उसमे से उसने 1/3 हिस्सा बेचा जो नहीं बेच सकते है। मेरे द्वारा दिनांक 14.10.82 को पूरी जमीन खरिदी जो आ.न. 771 रकबा 12 बिस्वा है। जबकि आ.न. 771 में से 1/3 हिस्सा वादी द्वारा क्रय किया। आ.न. 772 का कुल रकबा 2 बिस्वा है जो वादी अकेला क्रय नहीं कर सकता था । प्रतिवादी ने यह भी दर्शाया कि मै 1982 से खातेदार हूॅ जबकि वादी वाद 2010 में लाये है मेरे खातेदारी भुमि को आज खारिज नही की जा सकती है मेरे नाम क्रय के बाद जो नामान्तरकरण की कार्यवाही हुई उसे कहीं पर चैलेन्ज नहीं किया उसकी अपील नहीं की गयी। मै 35 वर्ष से खातेदार हूॅ। वाद मियाद के अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए इसी स्टेज पर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 ए का भी विस्तार से आर आर डी 1995 पेज 734 आर बी जे (एस) 1998 नंत 568 एव आर आर टी 2015 (2) पेज 1221 का भी विवेचन किया गया ।

इसी तरह आ.न. 772 रकबा 2 बिस्वा भी वादी द्वारा 1980 में क्रय की जो रजिस्ट्री अनुसार पूरा रकबा बेचान लिखा है। जो सीताराम विक्रेता ने प्रतिवादी मनोहरसिंह को 14.10.82 को प्रतिवादी संख्या 1 को साबिक आ.न. जो वादग्रस्त है । आ.न. 771 रकबा 12 बिस्वा एवं आ.न. 772 रकबा 2 बिस्वा पुनः विक्रय कर दी गयी। चुॅकि यह विक्रय पत्र दोनों भाईयों द्वारा किया गया है जो उचित प्रतित नहीं होता है क्योंकि सीताराम द्वारा पूर्व में 14.8.80 में वादी को आ.न. 771 का 1/3 हिस्सा एवं आ.न. 772 पूरा विक्रय कर दिया गया था। द्वितिय विक्रय में सीताराम द्वारा अपने हिस्से की शेष भुमि का ही विक्रय करना था। इसलिए मूल रूप से वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 की गलती नहीं होकर विक्रेता सीताराम ने ही वादी के नाम प्रथम विक्रय की जमीन फ्रेगमेन्ट होने से नाम पर नहीं होने से दुबारा पुनः विक्रय कर दी। जो प्रतिवादी के नाम द्वितिय पंजियन अनुसार खाते दर्ज होकर खातेदार है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, वादी प्रतिवादी के साक्ष्य सबूतों का गहनता से अध्ययन किया गया। उभय पक्ष की बहस पर भी मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादी द्वारा भुमि 1980 में क्रय की है प्रतिवादी ने 1982 में क्रय की परन्तु आराजी का अगर टुकडो

(फ्रेगमेन्ट) में विक्रय होता है तो फ्रेगमेन्ट के कारण क्रय भुमि का नामान्तरण नहीं होने के कारण वादी के नाम भुमि दर्ज नहीं हुई। प्रतिवादी द्वारा पूरा आराजी क्रय करने से 1982 में भुमि खाते दर्ज हो गयी। जबकि वादी ने भुमि पहले क्रय की व कब्जा वादी का होने से इसका हक हिस्सा निहित है वादी द्वारा आर आर टी 1008 (2007) प्रस्तुत की हाईकार्ट के निर्णय अनुसार 11.11.92 में सेक्शन 42– बी जरिये संशोधन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विवरण है इस निर्णय में न्यायालय ने यह माना कि 1992 के अधिनियम के पूर्व किये गये संव्यवहारो को विधिमान्य किया संशोधन प्रकृति से भूतलक्ष्यी है और विक्रय शून्य नहीं था। एक सह हिस्सेदार को उसके वैध हिस्से का अन्तरण अन्य सहहिस्सेदार की सहमति के बिना करने का अधिकार है।

आ.न. 771 का कुल रकबा 12 बिस्वा ही था वादी ने 1/3 हिस्सा सीताराम से क्रय किया। सीताराम का हिस्सा 1/2 से 6 बिस्वा बनता है। रजिस्ट्री अनुसार भुमि में से 1/3 हिस्सा विक्रय किया जो 4 बिस्वा भुमि बनती है जबकि विक्रेता का 6 बिस्वा हिस्सा होने से 1/3 से 4 बिस्वा तो बनता ही है। अतः वादी रजिस्ट्री अनुसार 4 बिस्वा भुमि का कानुनी हकदार है।

वादी ने दिनांक 14.8.80 को भुमि क्रय की है। फ्रेगमेन्ट के कारण भुमि नाम पर नहीं हुई जबकि जवाब व बयानों के आधार पर कब्जा साबित होता है। अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा पालडी पटवार हल्का बडगांव तहसील बडगांव की साबिक आ.न. 771 हाल आ.न. 1635, 1639 में से 0.0400 हेक्टर का एवं साबिक आ.न. 772 हाल आ.न. 1639/2077 में से 0.0100 हेक्टर भुमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजीयात की शेष भुमि प्रतिवादी संख्या 1 के यथावत रहेगी। इसी अनुसार तहसीलदार रेकर्ड में अमलदरामद करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

कमर चौधरी
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी कमर चोधरी आई. ए. एस. मुकद्मा 67/16 सन 2016 सीगह वाद (1) किशनलाल डांगी पिता श्री हेमराज उर्फ हेमा जी डांगी, निवासी 1107 श्री नाथ कॉलोनी, पुला, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) (2) श्रीमती सीमा डांगी पुत्री श्री हेमराज उर्फ हेमा डांगी पत्नी श्री किशनलाल डांगी निवासी 363, भमलाई, लखावली तह. बडगांव जिला उदयपुर (राज.)बनाम (1) लोगर डांगी पिता श्री औंकार जी डांगी, निवासी पुलां, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) (2) बालु डांगी पिता श्री औंकार जी डांगी, निवासी पुलां, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) (3) हेमराज उर्फ हेमा डांगी पिता श्री औंकार जी डांगी, निवासी पुलां, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) (4) मनोहर डांगी पिता श्री हेमराज उर्फ हेमा डांगी, निवासी पुलां, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) (5) श्रीमती शोभा कर्वा पत्नी श्री अशोक जी कर्वा निवासी 6–ए, न्यु फतहपुरा, उदयपुर (राज.) (6) श्रीमती रूपल भण्डारी पत्नी श्री ललित जी भण्डारी निवासी 31, अलकापुरी, उदयपुर(राज.) (7) हेमन्त कोठारी पिता श्री जी. एस. कोठारी निवासी 12–सी, मधुबन, उदयपुर (राज.) (8) रमेश चन्द्र कुम्हार पिता श्री मोडीराम कुम्हार, निवासी बडी, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (9) प्रियंका पुत्री कमलसिंह जी चौधरी निवासी खारोल कॉलोनी फतेहपुरा, उदयपुर (राज.) (10) राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार बडगांव उदयपुर अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने कमर चोधरी आई. ए. एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। हुआ। वादी की और से अधिवक्ता श्री भरत सनाढ्य प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9, की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा की उपस्थिति आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि

प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद वास्ते घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे ..... रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ..... द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख ..... माह ..... सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....

पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			**योग**		